न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :- अनिलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 40/23

1 हुक्माराम पुत्र जीवणराम जाति बावरी निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

2 कालूराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामियान तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1 अरूण पुत्र पपैयाराम जाति कंजर निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू

2 कैलाश पुत्र पपैयाराम जाति कंजर निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू

3 मांगीराम पुत्र पपैयाराम जाति कंजर निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू

4 बजरंग पुत्र पपैयाराम जाति कंजर निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू

5 हंसराम पुत्र पपैयाराम जाति कंजर निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू

6 गीता पुत्री पपैयाराम जाति कंजर निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू

7 धापकारी पुत्री पपैयाराम जाति कंजर निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू

8 शांति पुत्री पपैयाराम जाति कंजर निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू

9 सीरू पुत्री पपैयाराम जाति कंजर निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू

10 रोहिताश पुत्र भालुराम जाति कंजर निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू

11 सीताराम बिडासरा पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिलाचूरू

12 बीरमाराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू

13 मदनलाल पुत्र डालूराम जाति मेघवाल निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

14 शंकरलाल पिलाणिया पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर

15 उप पंजियक अधिकारी बीदासर जिला चूरू

16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :-

मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण

-: निर्णय :-

दिनांक:- 07-11-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक से 14 चवदह के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 792 सात सौ बानवे तादादी 0.9719 शून्य दशमलव नौ सात एक नौ हेक्टेयर भूमि वाके रोही ढाणी भोमपुरा

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी कालूराम का 163/1175 एक सौ तरेसठ बट्टा एक हजार एक सौ पचहत्तर हिस्सा व वादी हुलासाराम का 53/1175 तरेपन बट्टा एक हजार एक सौ पचहत्तर हिस्सा है। वादगत भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 14 चवदह की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 14 चवदह अपने-अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 14 चवदह का खान-पान, रहन-सहन अलग-अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 15.08.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 14 चवदह से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने-अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक-पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 14 चवदह साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 14 चवदह ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीगण को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 14 चवदह को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 14 चवदह अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 14 चवदह को वर्जित कराये कि वोह वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 14 चवदह की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 16 सौलह के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

विरु निषेधाज्ञा डिक्री पारित का है। वादगत खेत रोही ग्राम ढाणी भोमपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू मे स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। खातेदार मुकनी पत्नि भालूराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा खातेदार मोती पुत्र भालूराम कुम्हार फौत हो चुका है। इन दोनों का जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 10 [illegible] है जो वाद मे पक्षकार है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वाद मे पेशेकार राज ने राजहित नही होना अंकित किया है। वादीगण वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने दौराने बहस दावे मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादीगण वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीगण द्वारा वाद मे किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय मे किसी भी व्यक्ति द्वारा नही किया गया है। इस कारण इस वाद मे तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि मे अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम ढाणी भोमपुरा की खसरा संख्या 792 तादादी 2.9719 हेक्टेयर भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी कालूराम का 163/1175 हिस्सा व वादी हुलासाराम का 53/1175 हिस्सा है। तहसीलदार बीदासर से वादगत भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रारम्भिक डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
दुलासाराम बनाम अरूण आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:-40/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्ताई रु-ब-रु.........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम ढाणी भोमपुरा की खसरा संख्या 792 तादादी 2.9719 हेक्टेयर भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमे वादी कालूराम का 163/1175 हिस्सा व वादी दुलासाराम का 53/1175 हिस्सा है। तहसीलदार बीदासर से वादगत भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

चीज..............मुबलिग..................बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह..............
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....................—.....................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........07/11/2024.......

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट खर्च के कार्य-बार कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)